रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2004/माघ 20, 1925
No. 67] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2004/MAGHA 20, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 107(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में दिनांक 3 फरवरी, 2004 के सं. सा.का.नि. 94(अ) के तहत प्रकाशित वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2004 में वन (संरक्षण) संशोधन नियम के नियम 5 में यथा निहित नियम 6 के उप नियम (4) और (6) को नीचे दिए अनुसार पढ़ा जाए :—

"(4) उपनियम (3) के खण्ड (ङ) (ii) में उल्लिखित प्रस्ताव, जिसमें चालीस हैक्टेयर तक वनभूमि वाले प्रस्ताव शामिल हैं, संबंधित राज्य सरकार अथवा जैसा भी मामला हो, संघ शासित प्रशासन द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य वन संरक्षक अथवा वन संरक्षक को भेजा जाएगा जो संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से प्रस्ताव की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर (क) पांच हैक्टेयर तक के खनन एवं अतिक्रमणों से संबंधित प्रस्ताव के अलावा वनेतर प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे तथा (ख) पांच हैक्टेयर से अधिक और चालीस हैक्टेयर तक के वनेतर प्रस्ताव सहित खनन और अवैध कब्जों से संबंधित 40 हैक्टेयर तक के वनेतर प्रस्ताव पर कार्रवाई, जांच तथा उसे अपनी सिफारिशों के साथ, यदि कोई हो पर निर्णय प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को भेजेंगे और राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो एवं संबंधित प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेंगे।

(6) उपनियम (3) के खण्ड (ङ) (ii) में उल्लिखित प्रस्ताव, जिनमें 40 हैक्टेयर से अधिक वनभूमि शामिल है, संबंधित राज्य सरकार अथवा जैसा भी मामला हो, संघ शासित प्रशासन द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को भेजा जाएगा।"

[फा. सं. 5-5/98-एफ सी]

डॉ. वी.के. बहुगुणा, वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण)

टिप्पणी : वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2004 दिनांक 3 फरवरी, 2004 संख्या सा. का. नि. 94(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th February, 2004

G.S.R. 107(E).—In the Forest (Conservation) Amendment Rules, 2004 published in the Official Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 94(E) dated 3rd February, 2004, Sub-rules (4) and (6) of rule 6 of the said rules as contained in rule 5 of the Forest (Conservation) Amendment Rules, 2004 shall be read as follows :

"(4) The proposal referred to in clause (e) (ii) of Sub-rule (3), involving forest land upto forty hectares shall be forwarded by the concerned State Government or as the case may be, the Union Territory Administration, alongwith its recommendations, to the Chief Conservator of Forests or the Convservator of Forests of the concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Government of India, who shall, within a period of forty five days of the receipt of the proposal from the concerned State Government or the Union Territory Administration, as the case may be (a) decide the diversion proposal upto five hectares other than the proposal relating to mining and encroachments, and (b) process, scrutinise and forward diversion proposal of more than five hectares and upto forty hectares including all proposals relating to mining and encroachments upto forty hectares, along with the recommendations, if any, to the Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110003, for obtaining the decision of the Central Government and inform the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, and the User Agency concerned.

(6) The proposal referred to in clause (e) (ii) of Sub-rule (3), involving forest land of more than forty hectares shall be forwarded by the concerned State Government or as the case may be, the Union Territory Administration, alongwith its recommendations, to the Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhwan, CGO Complex, New Delhi – 110003."

[F. No. 5-5/98-FC]

Dr. V. K. BAHUGUNA, Inspector General
of Forests (Forest Conservation)

Note : The Forest (Conservation) Amendment Rules, 2004 were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 94(E) dated the 3rd February, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.